

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलधिकार जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बद्धिकार विषय पर चारि पूर्ण में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे तिससे दरिया हो।



ग्राह : ग्रन्तीवर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5213

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अन्वाह, जिला - मुरैना को सत्र
2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यपत्रों/रिपोर्टों की अस्तायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान
करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973
के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(संयोजक)

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442868)
- (2) प्रो. ए.के. हल्के, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. अंजला मिश्रा, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर
शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आठिंडेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिवेदन है
कि वे उक्त विधीयत गति में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति अब तक का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ती करता है तो समिति स्वतः विरस्त हो
जायेगी और पुरुष निरीक्षण समिति अब तक हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण
समिति का पुर्वगति किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।
निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा में कार्यस्थित अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की
वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव
होंगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संवित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)